



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011 (म. प्र.)

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95, 97, फैक्स : (0755) 2552363, 2552364

क्र./राशिके/एस.जी.यू./2012/1574
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13.2.12

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र
जिला-समस्त संबंधित जिले म.प्र.

विषय— आँगनबाड़ी सुदृढीकरण हेतु राशि जारी करने विषयक।
संदर्भ— क्र./राशिके/एस.जी.यू./2012/400 दिनांक 12.1.12।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सर्वशिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना में नवाचार के अंतर्गत प्रावधानित राशि शाला पूर्व शिक्षा हेतु जिलों को जारी की गई थी। आज दिनांक 13.2.12 को की गई बजट समीक्षा में यह संज्ञान में आया है कि जिलों के द्वारा उपरोक्त राशि महिला बाल विकास विभाग को हस्तांतरित नहीं की गई है साथ ही पूर्व वर्षों में प्रदाय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र भी प्राप्त नहीं किया गया है।

पूर्व वर्षों में प्रदाय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए आज ही उपरोक्त राशि निर्देशानुसार जारी कर इसकी सूचना राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न—संदर्भित पत्र


13.2.12

अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

भोपाल, दिनांक 13.2.12

पृ.क्र./राशिके/एस.जी.यू./2012/1575
प्रतिलिपि—

1. कलेक्टर, समस्त संबंधित जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त संबंधित जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।


13.2.12

अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011 (म. प्र.)

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95, 97, फैक्स : (0755) 2552363, 2552364

क्र./राशिके/एस.जी.यू./2012/400
प्रति,


भोपाल, दिनांक 12/1/12

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र
जिला-समस्त जिले म.प्र.
(संवेदन)

विषय- आँगनबाड़ी सुदृढीकरण हेतु राशि जारी करने संबंधी।
संदर्भ- राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्रमांक /रागाशिमि/वित्त/2010/819 भोपाल, दिनांक 5/2/10।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि सर्वशिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना में नवाचार के अंतर्गत शाला पूर्व शिक्षा के लिए परिशिष्ट अनुसार दर्शायी राशि प्रति जिला स्वीकृत है। इस राशि से आँगनबाड़ी केन्द्रों में शाला पूर्व शिक्षा के सुदृढीकरण की कार्रवाई महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से की जा रही है। आँगनबाड़ी केन्द्रों में शाला पूर्व शिक्षा हेतु आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण संपन्न होना है। इसके साथ-साथ केन्द्रों को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों में (1 पिक्चर सह वर्कबुक-अनुमानित दर 30 रुपये, 1 क्रेयान्स सेट, 1 पेंसिल, 1 इरेजर, 1 शार्पेनर, अनुमानित दर-10 रुपये), जिलेवार राशि संलग्न प्रपत्र में दी जा रही है। जो कि संदर्भित पत्र के माध्यम से जिले को भेजी गयी है। पत्र में आपके जिले के लिए अंकित राशि अविलम्ब जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश महिला वित्त निगम जिला महिला बाल विकास अधिकारी) के खाते में हस्तांतरित करें। इस राशि का उपयोग महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आँगनबाड़ी हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री के लिए सर्वशिक्षा अभियान के तहत गठित जिले की क्रय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इस मद अंतर्गत व्यय हेतु क्रय समिति की बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग को बतौर सदस्य सम्मिलित कर क्रय संबंधी कार्रवाई की जावे। विस्तृत दिशा निर्देश महिला बाल विकास विभाग द्वारा पृथक से जारी किए जा रहे हैं।

विगत वर्ष हेतु जारी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी भी कुछ जिला महिला बाल विकास अधिकारी/प्रोग्राम अधिकारी से अप्राप्त है। विगत वर्ष जारी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान होने उपरांत ही इस वर्ष की राशि जारी की जावे। समय-सीमा में राशि संबंधित के खाते में जारी करने की सूचना दूरभाष/ई मेल पर एस.जी.यू.कक्ष को देना सुनिश्चित करें।


(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ.क्र./राशिके/एस.जी.यू./2012/401
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 12-1-12

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ
3. कलेक्टर, जिला-समस्त जिले म.प्र की ओर सूचनार्थ
4. संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ एवं जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
5. संचालक महिला वित्त विकास निगम की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिले समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
7. संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
8. ए.पी.सी. जेण्डर एवं बी.जी.सी. कार्यक्रम की सतत मॉनिटरिंग करने हेतु सूचनार्थ।
9. बेवसाइट पर अपलोड करने बाबत।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

आंगनवाड़ी केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु प्रस्ताव वर्ष 2011-12

क्र	जिले का नाम	प्रस्तावित आंगनवाड़ी केन्द्रों संख्या	प्रति आंगनवाड़ी 40 रुपये के मान से 25 आंगनवाड़ियों को 1000 रुपये प्रति केन्द्र की दर से प्रस्तावित राशि	प्रशिक्षण हेतु राशि 600/- प्रति कार्यकर्ता की दर से	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	श्यापुर	559	559000	335400	894400
2	मुरैना	644	644000	386400	1030400
3	भिण्ड	625	625000	375000	1000000
4	ग्वालियर	625	625000	375000	1000000
5	गुना	375	375000	225000	600000
6	अशोकनगर	625	625000	375000	1000000
7	दतिया	475	475000	285000	760000
8	देवास	625	625000	375000	1000000
9	शाजापुर	625	625000	375000	1000000
10	मंदसौर	625	625000	375000	1000000
11	नीमच	419	419000	251400	670400
12	इंदौर	375	375000	225000	600000
13	धार	181	181000	108600	289600
14	बुरहानपुर	181	181000	108600	289600
15	सीहोर	625	625000	375000	1000000
16	रायसेन	625	625000	375000	1000000
17	राजगढ़	625	625000	375000	1000000
18	विदिशा	625	625000	375000	1000000
19	हरदा	230	230000	138000	368000
20	सागर	625	625000	375000	1000000
21	दमोह	625	625000	375000	1000000
22	छतरपुर	419	419000	251400	670400
23	टीकमगढ़	625	625000	375000	1000000
24	कटनी	331	331000	198600	529600
25	छिंदवाड़ा	625	625000	375000	1000000
26	रीवा	625	625000	375000	1000000
27	अनूपपुर	625	625000	375000	1000000
28	सीधी	419	419000	251400	670400
29	सिंगरोली	419	419000	251400	670400
30	सतना	938	938000	562800	1500800
योग		15965	15965000	9579000	25544000